

सीईएन सं.03/2026 (सेक्शन कंट्रोलर)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

प्र.1	सीईएन 03/2026 के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे?
उत्तर	आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 15-07-2026 है।
प्र.2	सीईएन 03/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14-08-2026 रात्रि 23:59 बजे है।
प्र. 3	जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर	जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16-08-2026 है।
प्र.4	आवेदन में संशोधन की तिथियाँ क्या हैं?
उत्तर	आवेदन में संशोधन की विंडो केवल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद खोली जाएगी और 17-08-2026 से 26-08-2026 तक सक्रिय रहेगी। यदि अभ्यर्थी 'Create an Account' फॉर्म में भरी गई जानकारी जिसमें ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर शामिल हैं तथा चयनित आरआरबी (Chosen RRB) को छोड़कर किसी अन्य विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक बार ₹250/- (गैर-वापसी योग्य / Non-refundable) का संशोधन शुल्क जमा करके ऐसा कर सकते हैं।
प्र.5	क्या पीडब्लूबीडी अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं?
उत्तर	सिर्फ एलडी [ओए, ओएल, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के) और एसआई (बिना एन/एल डीएफ के)] वाले ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं, लेकिन इस सीईएन में पीडब्लूबीडी के लिए कोई वैकेंसी आरक्षित नहीं है। साथ ही, पोस्ट पैरामीटर टेबल (अनुलग्नक A) में सब-डिसेबिलिटी की जानकारी के साथ “बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए उपयुक्तता” भी देखें। पीडब्लूबीडी उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट और स्क्राइव की सुविधा (उपयुक्तता के अनुसार) उपलब्ध होगी।
प्र.6	आवेदन करने के लिए पात्र आयु क्या है?
उत्तर	आयु पात्रता संबंधी मानदंडों के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 8.2 एवं 8.3 देखें।
प्र.7	आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि क्या है?
उत्तर	आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि 01.07.2026 है। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8.2 एवं 8.3 देखें।
प्र.8	सेक्शन कंट्रोलर के पद के लिए पोस्ट मानदंडों (यानी, शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल स्टैंडर्ड और पीडब्लूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता) क्या हैं?
उत्तर	पद संबंधी मानदंडों के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक-A का संदर्भ लें।
प्र.9	मेरे अंतिम परिणाम 14/08/2026 के बाद आने की संभावना है। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	नहीं। जिन अभ्यर्थियों के निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (14/08/2026) तक लंबित हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थियों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होना अनिवार्य है।

प्र.10	शुल्क में छूट के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
उत्तर	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में रियायत के पात्र हैं। कृपया सीईएन के पैरा 10 (क्रम संख्या 2) का संदर्भ लें।
प्र.11	आवेदन कैसे करें?
उत्तर	आवेदन करने की प्रक्रिया के विस्तृत विवरण के लिए कृपया पैरा 17 देखें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी सूचनाओं एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
प्र.12	क्या हम मोबाइल का उपयोग करके खाता बना सकते हैं और आवेदन भर सकते हैं?
उत्तर	हाँ, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके स्मार्टफोन से आवेदन भरा जा सकता है। हालांकि, आवेदन मॉड्यूल की कुछ सुविधाएँ मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए बेहतर अनुभव के लिए अभ्यर्थियों को डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
प्र.13	‘खाता बनाये’ के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?
उत्तर	अभ्यर्थियों के पास भर्ती प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान सभी प्रकार के संचार के लिए अपना स्वयं का सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से किया जाएगा।
प्र.14	मैंने रेलवे की पिछली सीईएन के लिए पहले से ही एक खाता बनाया हुआ है। क्या मुझे सीईएन 03/2026 के लिए नया खाता बनाना होगा?
उत्तर	यदि किसी अभ्यर्थी ने वर्ष 2024/2025/2026 में प्रकाशित किसी सीईएन के लिए पहले से खाता बनाया हुआ है, तो उसे उसी खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके इस सीईएन (अर्थात् सीईएन सं. 03/2026) के लिए भी लॉगिन कर आवेदन करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ने पहले कभी खाता नहीं बनाया है, तो उसे इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले ‘खाता बनाए’ करना अनिवार्य है।
प्र.15	‘खाता बनाए’ करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	यदि अभ्यर्थी ने अभी तक खाता नहीं बनाया है, तो उसे सबसे पहले अपना खाता बनाना होगा। इसके लिए आवेदन लिंक के होम पेज पर “अप्लाई” टैब पर क्लिक करें, फिर ‘खाता बनाए’ पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन ‘खाता बनाए’ फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें तथा एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, विशेष चिन्ह तथा अंक का संयोजन होना चाहिए। खाता सफलतापूर्वक बनने के बाद अभ्यर्थी को पुष्टि हेतु एसएमएस एवं ईमेल प्राप्त होगा।
प्र.16	क्या मैं ‘सीईएन आवेदन के विवरण में संशोधन’ कर सकता/सकती हूँ
उत्तर	‘खाता बनाए’ फॉर्म में भरी गई जानकारी खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं की जा सकती। हालांकि, आवेदन में अन्य अनुमत विवरणों में संशोधन केवल मॉडिफिकेशन विंडो के दौरान ही किया जा सकता है।

प्र.17	यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है, तो मुझे कौन सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?
उत्तर	अभ्यर्थियों के पास नाम परिवर्तन के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) या कोई अन्य वैध कानूनी दस्तावेज़ होना अनिवार्य है और इसे सीबीटी, सीबीएटी एवं डीवी के समय प्रस्तुत करना होगा। नाम परिवर्तन की तिथि या नाम परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को 'खाता बनाते' समय अपना मूल नाम और बदला हुआ नाम दोनों भरना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन पत्र में दोनों नाम प्रदर्शित होंगे।
प्र.18	डिजिलॉकर/आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर	अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु डिजिलॉकर/आधार सत्यापन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सीबीटी एवं सीबीएटी के दौरान अभ्यर्थिता की वास्तविकता सुनिश्चित करने और प्रतिरूपण को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। आरआरबी, आधार से संबंधित विवरण को किसी भी तृतीय पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और न ही इस सीईएन के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेगा। यदि अभ्यर्थी अपनी पहचान एवं अन्य प्राथमिक विवरणों का सत्यापन किसी वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के माध्यम से करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक कड़ी एवं विस्तृत जांच की जाएगी।
प्र.19	'खाता बनाएं' के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	अकाउंट बनाने के बाद, आरआरबी क्रेडेंशियल्स या आधार क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके rrbapply.gov.in पोर्टल पर एप्लीकेशन में लॉग-इन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की प्रक्रिया में पांच मुख्य सेक्शन हैं: पर्सनल डिटेल्स, अन्य डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, और प्रीव्यू व प्राथमिकता और सबमिट करना। "अकाउंट बनाएं" चरण में दी गई जानकारी एप्लीकेशन में पहले से भरी हुई दिखेगी और इसे बदला नहीं जा सकेगा। पर्सनल डिटेल्स से शुरुआत करते हुए सभी जानकारी भरें। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद, सेव करें और अगले सेक्शन पर जाएं। इसी तरह आखिरी सेक्शन यानी प्रीव्यू व प्राथमिकता और सबमिट करने तक आगे बढ़ें, जहां कैंडिडेट पेमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आखिरकार सबमिट कर सकता है। फीस पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कैंडिडेट को आरआरबी से ईमेल और एसएमएस के जरिए पेमेंट सफल होने का कन्फर्मेशन मिलेगा। इसके बाद, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले सबमिट किए गए एप्लीकेशन का प्रिंटआउट ले सकता है। ध्यान दें: जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही 2024 के आरआर नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए अप्लाई करते समय एप्लीकेशन मॉड्यूल के पर्सनल डिटेल्स, अन्य डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स वाले पेजों पर अपने पहले से सेव किए गए डेटा से जानकारी की सही-सही जांच कर लें और फिर पेमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। 'अकाउंट बनाएं' फॉर्म में भरी गई जानकारी (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की तारीख, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार ई-केवाईसी डिटेल्स जिसमें चुना गया आरआरबी भी शामिल है) को बदला नहीं जा सकता है।
प्र.20	लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	एप्लीकेशन लिंक के 'होम' पेज पर जाएं। अप्लाई टैब के अंदर, ड्रॉपडाउन मेनू से "आलरेडी हेव एन अकाउंट" चुनें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या आधार की जानकारी और उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा डालकर अपने अकाउंट में साइन इन करें और फिर लॉग इन करें।

प्र.21	यदि मैं अपने खाते में लॉगिन करने का पासवर्ड भूल जाऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर	लॉगिन पोर्टल के “अपने अकाउंट में साइन इन करें” पेज पर “पासवर्ड भूल गए वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर और अपनी जन्मतिथि डालें। नया पासवर्ड कैंडिडेट की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे गए नए पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा।
प्र.22	रिक्तियों का विवरण कहाँ उपलब्ध है?
उत्तर	आरआरबीवाइज रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक-बी में उपलब्ध है।
प्र.23	लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन 03/2026 के पैरा 17.5 का संदर्भ लें।
प्र.24	हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए?
उत्तर	अभ्यर्थियों को अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार अपलोड करनी होगी— • हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी द्वारा ही किए गए होने चाहिए। • सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन का उपयोग करें। • हस्ताक्षर प्रवाहयुक्त हस्तलिपि (अर्थात कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होने चाहिए। बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स या अलग-अलग अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हस्ताक्षर स्पष्ट, पढ़ने योग्य तथा स्कैन किए गए क्षेत्र के भीतर पूर्ण रूप से दिखाई देने चाहिए। हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश: • हस्ताक्षरित कागज को न्यूनतम 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें। • इमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल जेपीजी/जेपीईजी • फ़ाइल आकार: 30 केबी से 49 केबी के बीच • इमेज आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई) • स्कैन किया गया हस्ताक्षर आवेदन पत्र में निर्धारित स्कैन बॉक्स के भीतर होना चाहिए। बॉक्स का आकार 50 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई) है। हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के मध्य में होनी चाहिए। हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत होने के आधारों की जानकारी के लिए कृपया पैरा 17.7 का संदर्भ लें।
प्र.25	मैं आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। सभी लागू सेवा शुल्क आवेदन शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे। भुगतान करते समय भुगतान के माध्यम की प्रामाणिकता तथा इस सीईएन के लिए ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखें। अनाधिकृत वेबसाइटों से बचें।
प्र.26	मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है? क्या मैं उसका प्रिंटआउट ले सकता/सकती हूँ?
उत्तर	ऑनलाइन आवेदन को अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाना केवल आरआरबी के स्तर पर आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद ही होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी को ईमेल और/या एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी। पुष्टि प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता/सकती है।

प्र.27	मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई कॉल लेटर भी जारी हो गया है। क्या इसका-अर्थ है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए स्वीकार कर लिया गया है?
उत्तर	भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश केवल अस्थायी होगा तथा यह इस शर्त के अधीन होगा कि अभ्यर्थी सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। केवल ईर्थ यह कॉल लेटर जारी होने का अर्थ नहीं है कि आरआरबी द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों के लिए स्वीकार कर लिया गया है। सीबीटी के समय अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने से पूर्व उसके फोटो एवं हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता एवं वास्तविकता का अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों, जैसे सीबीएटी, चिकित्सा परीक्षण तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं अभिलेखों की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाएगा।
प्र.28	भर्ती प्रक्रिया के चरण कौनकौन से हैं और मुझे इनके कार्यक्रम की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर	इसमें सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी), कंप्यूटर बेस्ड एण्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) और मेडिकल एग्जामिनेशन (एमई) शामिल हैं। सीबीटी के शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को समय आने पर आरआरबी की वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के ज़रिए दी जाएगी। किसी भी स्थिति में सीबीटी के किसी भी स्टेज को टालने या वेन्यू, तारीख और शिफ्ट बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्र.29	मैं पीडब्लूबीडी अभ्यर्थी हूँ। क्या मैं सीबीटी/सीबीएटी में स्क्राइब की सुविधा का उपयोग कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	पीडब्लूबीडी अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब की पात्रता संबंधी जानकारी हेतु कृपया सीईएन 03/2026 के पैरा 14.8 से 14.14 का संदर्भ लें।
प्र.30	सीबीटी/सीबीएटी में पात्र अभ्यर्थी स्क्राइब की सुविधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर	a) स्क्राइब की सुविधा के पात्र अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर आरआरबी के साथ पंजीकृत हो विस्तृत सीईएन-03/2026 के पैरा 14.15 में स्क्राइब के पंजीकरण संबंधी जानकारी देखें। b) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध कराई जाने वाली 5 दिनों की अवधि के दौरान अभ्यर्थी को आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करके स्क्राइब का विवरण दर्ज करना होगा। c) अपने स्क्राइब का वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। d) स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
प्र.31	स्क्राइब के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है (लेखक)?
उत्तर	a) स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब के तौर पर रखे गए किसी भी व्यक्ति को आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर 'होम पेज → स्क्राइब रजिस्ट्रेशन' पर जाकर रजिस्टर करना होगा। b) सफल पंजीकरण के बाद एक वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नंबर उत्पन्न किया जाएगा, जिसे स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। c) केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। (अधिक जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन-03/2026 के पैरा 14.15 का संदर्भ लें।)
प्र.32	सीईएन 03/2026 में कितने वेतन स्तर हैं?
उत्तर	सीईएन 03/2026 में केवल एक वेतन स्तर लेवल-6 है।
प्र.33	क्या मैं एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए किए गए आपके सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा आपको आरआरबी एवं आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

प्र.34	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस श्रेणी का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि क्या है?
उत्तर	इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस श्रेणी की स्थिति ही आरक्षण एवं उससे संबंधित लाभों के लिए पात्रता के अनुसार मान्य होगी। इसके बाद श्रेणी की स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 11 (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) का संदर्भ लें। एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जाति/समुदाय सत्यापन प्रमाणपत्र उपलब्ध हो। दस्तावेजों के समय ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में जारी मूल जाति/समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 14.08.2026 तक वैध हो।
प्र.35	क्या राज्य की ओबीसी सूची में शामिल अभ्यर्थी ओबीसी -एनसीएल आरक्षण के पात्र हैं?
उत्तर	जो ओबीसी राज्य की सूची में तो हैं लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, वे आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।(नवीनतम सूची के अनुसार http:// www.ncbc.nic.in)
प्र.36	ईडब्लूएस के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता क्या है?
उत्तर	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 11.13 का संदर्भ लें।
प्र.37	पीडब्लूबीडी प्रमाणपत्र के लिए निर्णायक तिथि क्या है?
उत्तर	पीडब्लूबीडी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् 14.08.2026 तक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
प्र.38	मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	जो अभ्यर्थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, उन्हें अनुलग्नक VII के अनुसार " सेवा से कार्यमुक्त होने की संभावित तिथि के साथ रोजगार प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुलग्नक VII(ए) के अनुसार स्वघोषणा-प्रस्तुत करनी होगी।
प्र.39	मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल सेवा प्राप्त कर ली है। क्या मैं इस सीईएन के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक लाभों का पात्र हूँ?
उत्तर	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 13.1 से 13.6 का संदर्भ लें।
प्र.40	दस्तावेज सत्यापन के समय किन अभ्यर्थियों को एनओसी प्रस्तुत करनी होगी?
उत्तर	रेलवे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में काम कर रहे उम्मीदवार (जिनमें इंडक्शन ट्रेनिंग/प्रोवेशन पर चल रहे उम्मीदवार भी शामिल हैं) अपने नियोक्ता को सूचित करके सीधे आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी जमा करना होगा; ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन/पैनल में शामिल किए जाने/नियुक्ति के समय तय समय-सीमा के भीतर अपने मौजूदा नियोक्ता से एनओसी जमा करना पूरी तरह से उम्मीदवार की ज़िम्मेदारी है; ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनल में शामिल किए जाने/नियुक्ति को अस्वीकार और रद्द कर दिया जाएगा। कृपया नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 15 को देखें।

प्र.41	आवेदन जमा करने के बाद मैंने केंद्र सरकार) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सरकार/Public Sector Undertakings) में नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय NOC (अनापत्ति प्रमाणप्रस्तुत करना होगा (पत्र-?
उत्तर	हाँ। अगर आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नौकरी जॉइन की है, तो आपको डीवी के समय एनओसी दिखाना होगा; ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी/एम्प्लॉयमेंट रद्द कर दी जाएगी।
प्र.42	आवेदन में शैक्षणिक योग्यता वाले पृष्ठ पर केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रही है। मैं अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ूँ?
उत्तर	‘ऐड बटन पर क्लिक करें, क्वालिफिकेशन की जानकारी भरें और फिर से ‘ऐड बटन पर क्लिक करें।
प्र.43	यदि मेरे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में केवल उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष अंकित है, तो आवेदन में कौनसी तिथि - दर्ज करूँ?
उत्तर	यदि 10वीं के प्रमाणपत्र में तिथि अंकित नहीं है, तो प्रमाणपत्र में उल्लिखित माह की अंतिम तिथि दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि प्रमाणपत्र में अप्रैल-2024 अंकित है, तो आवेदन में 30-04-2024 दर्ज करें।
प्र.44	कुल कितने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?
उत्तर	उम्मीदवारों को सीईएन में बताए गए निर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी फ़ॉर्मेट में अपने हस्ताक्षर और (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) एससी/एसटी सर्टिफिकेट को सीईएन में बताए गए निर्देशों के अनुसार पीडीएफ फ़ॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
प्र.45	अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का आकार कितना होना चाहिए?
उत्तर	अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का आकार निम्नानुसार होना चाहिए— 1. जाति प्रमाणपत्र: पीडीएफ प्रारूप में अधिकतम 400 केबी। 2. हस्ताक्षर: हस्ताक्षर का रिज़ॉल्यूशन कम से कम 100 डीपीआई होना चाहिए; डाइमेंशन: कम से कम 140 पिक्सल (चौड़ाई) × 60 पिक्सल (ऊँचाई); साइज़: 30 कीबी से 49 केबी; फ़ॉर्मेट: जेपीजी/जेपीईजी। स्कैन किए गए हस्ताक्षर को एप्लीकेशन फ़ॉर्म पर दिए गए स्कैन बॉक्स के अंदर ही रखा जाना चाहिए। बॉक्स का साइज़: 50 mm (चौड़ाई) × 20 mm (ऊँचाई)। ध्यान रखें कि हस्ताक्षर तय बॉक्स के साइज़ के बीच में हो।
प्र.46	मैंने लैसिक सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के लिए पात्र हूँ?
उत्तर	जिन अभ्यर्थियों ने लैसिक सर्जरी अथवा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसी अन्य प्रकार की शल्य प्रक्रिया करवाई है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए ए2 चिकित्सा मानक आवश्यक है। कृपया पैरा 6.0, टिप्पणी (b) का संदर्भ लें।
प्र.47	यदि मेरे पास आधार नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर	अभ्यर्थियों को अपने हित में ‘खाता बनाए’ चरण के दौरान डीजीलॉकर अथवा आधार के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाणीकरण कराने की सलाह दी जाती है। यदि यह चरण छूट गया हो, तो वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय ‘वेरीफाई आधार’ सुविधा का उपयोग करके अपने आधार विवरण के माध्यम से पहचान का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया संबंधित सीईएन के लिए आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले पूरी करना अनिवार्य है।
प्र. 48	क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ। उम्मीदवारों को सबसे पहले पुराने पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करना चाहिए। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज के ऊपरी दाहिने हिस्से में मौजूद ‘चेंज पासवर्ड’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।

प्र. 49	क्या मैं अपना 'चुने हुए 'आरआरबी' को बदल सकता/सकती हूँ?
उत्तर	आवेदन जमा करने के बाद आप अपना चुने हुए 'आरआरबी ' नहीं बदल सकते।
प्र.50	क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ। 'खाता बनाने के दौरान दर्ज किए गए विवरणों को छोड़कर, आवेदन में भरे गए अन्य सभी विवरण आवेदन जमा होने तथा पंजीकरण संख्या उत्पन्न होने तक संशोधित किए जा सकते हैं।
प्र.51	क्या ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, लेकिन शुल्क का भुगतान करने से पहले, मैं अपने आवेदन विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	नहीं, एप्लीकेशन जमा करने के बाद उम्मीदवार जानकारी में बदलाव नहीं कर सकते। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 'प्रेफरेंस' और 'प्रीव्यू एंड सबमिट' पेज पर एप्लीकेशन प्रीव्यू में भरी गई जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें और अगर सब कुछ सही है, तभी एप्लीकेशन जमा करें, क्योंकि पेमेंट के लिए एप्लीकेशन जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर एप्लीकेशन प्रीव्यू में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे 'एडिट' बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन मॉड्यूल के संबंधित पेज पर गलत जानकारी को ठीक कर सकते हैं, फिर दोबारा एप्लीकेशन का प्रीव्यू करके उसे जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करने के बाद, ज़रूरी परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। अगर कोई उम्मीदवार 'क्रिएट एन अकाउंट' फॉर्म (12 जानकारी और चुने गए आरआरबी) में भरी गई जानकारी के अलावा किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार करना चाहता है, तो वे 17-08-2026 से 26-08-2026 तक चलने वाली संशोधन विंडो के दौरान हर बार ₹250/- (नॉन-रिफंडेबल) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।
प्र.52	मेरे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि, आधार या किसी अन्य पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि से अलग है। मुझे आवेदन में जन्मतिथि दर्ज करनी चाहिए सी कौन ?
उत्तर	आवेदन जमा करने से पहले आधार या अन्य पहचान पत्रों में दर्ज जन्मतिथि को सही करवाना आवश्यक है। हालांकि, आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार जन्मतिथि ही दर्ज की जानी चाहिए।
प्र.53	क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ। 'खाता बनाने के दौरान दर्ज किए गए विवरणों को छोड़कर, आवेदन में दर्ज अन्य सभी विवरण आवेदन जमा होने तथा पंजीकरण संख्या उत्पन्न होने तक संशोधित किए जा सकते हैं।
प्र.54	मैंने आवेदन में अपनी समुदायजाति/ गलत दर्ज कर दी है। क्या आवेदन जमा करने के बाद मैं अपनी श्रेणीजाति में / सकता हूँ/संशोधन कर सकता?
उत्तर	हाँ, तय फ़ीस देकर सिर्फ़ संशोधन विंडो' के दौरान ही जानकारी में बदलाव किया जा सकता है। हालाँकि, 'मॉडिफ़िकेशन विंडो' बंद होने के बाद जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के अनुसार अपनी कम्युनिटी और कास्ट की जानकारी देनी होगी; ऐसा न करने पर, सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा करने के बावजूद आपकी उम्मीदवारी को सिर्फ़ 'अनरिज़र्व्ड' (सामान्य) कैटेगरी के तहत माना जाएगा।
प्र.55	'निःशुल्क यात्रा अधिकार पत्र के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को (अनुरोध करने पर) मुफ़्त स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा। यह पास उन्हें सिलेक्शन के अलग-अलग चरणों (जैसे सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/मेडिकल टेस्ट) के लिए उनके ई-कॉल लेटर के साथ मिलेगा। यह सुविधा पाने के लिए, उन्हें 'पर्सनल डिटेल्स' पेज के 'कम्युनिटी' सेक्शन में जाना होगा और 'क्या आप परीक्षा के लिए मुफ़्त रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं' वाले ड्रॉप-डाउन से 'हाँ' चुनना होगा और 'नज़दीकी रेलवे स्टेशन' की जानकारी भरनी होगी। सिर्फ़ वही उम्मीदवार जो मुफ़्त रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं, उनसे ही अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।

प्र.56	मैं निःशुल्क यात्रा अधिकार पत्र अर्थात् निःशुल्क रेलवे पास का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ/?
उत्तर	ट्रेन में आरक्षण करवाते समय तथा यात्रा के दौरान, उम्मीदवार को अपनी पहचान के सत्यापन हेतु अधिकृत रेलवे कर्मचारी के समक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का मूल जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस - निःशुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किए जाने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में तथा उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
प्र.57	मैं अपना जाति प्रमाणपत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ।-
उत्तर	जाँच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़ PDF प्रारूप में है तथा उसका आकार 400 केबी तक है।
प्र.58	शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्णायक तिथि क्या है? क्या जिन उम्मीदवारों का परिणाम 14/08/2026 के बाद आने की संभावना है, वे आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर	अभ्यर्थियों (मौजूदा/नए) के पास अपनी निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता आवेदन जमा करने की विंडो अवधि की अंतिम तिथि अर्थात् 14/08/2026 को या उससे पहले होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
प्र.59	ईबीसी क्या है?
उत्तर	ईबीसी का अर्थ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। ऐसे उम्मीदवार, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से कम है, ईबीसी श्रेणी में आते हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से भ्रमित नहीं करना चाहिए।
प्र.60	ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं? क्या EBC उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के पात्र हैं?
उत्तर	ईबीसी उम्मीदवारों को केवल शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है। वे आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं हैं।
प्र.61	यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो क्या होगा?
उत्तर	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत छूट का दावा करने से पहले कृपया इस सीईएन के पैराग्राफ 10.2 को ध्यान से पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवार के पास आवेदन भरते समय एक वैध दस्तावेज़ होना चाहिए - जैसे ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV) या BPL कार्ड या इज़्जत MST या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई प्रमाण पत्र। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय उन्हें मूल रूप में जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि, यानी 14.08.2026 के बाद जारी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV), BPL कार्ड, या इज़्जत MST या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस सीईएन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले जारी वैध दस्तावेज़ - यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV), BPL कार्ड, या इज़्जत MST - प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
प्र.62	अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौनकौन शामिल हैं-?
उत्तर	अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा ज़ोरास्ट्रियन (पारसी) समुदाय शामिल हैं, जिन्हें उम्मीदवार के संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया हो। यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक लागू किसी भी समावेशन, विलोपन या संशोधन के अधीन होगा।

प्र.63	अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को कौनकौन से लाभ दिए जाते हैं-? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा हेतु शपथ पत्र- प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो क्या होगा?
उत्तर	अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल शुल्क में छूट प्रदान की जाती है और वे आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होते हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो सीईएन के अनुलग्नक-V के अनुसार होना चाहिए और उसमें उनके अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख होना चाहिए। यदि उम्मीदवार ऐसा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
प्र.64	क्या सीबीएटी परीक्षा के दौरान कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र- प्रस्तुत करना आवश्यक है?
उत्तर	हाँ, सीबीएटी में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सीईएन 03/2026 के अनुलग्नक VI के अनुसार विज्ञान सर्टिफिकेट जमा करना होगा। वैध विज्ञान सर्टिफिकेट जमा किए बिना उम्मीदवारों को सीबीएटी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व-सैनिकों के लिए, अनुलग्नक VI ए के अनुसार विज्ञान सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कृपया सीईएन 03/2026 के पैरा 6 को देखें।
प्र.65	सीबीटी का पाठ्यक्रम क्या है?
उत्तर	कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 16.1 में दिए गए सीबीटी पाठ्यक्रम का संदर्भ लें।
प्र.66	'परीक्षा शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर	सिर्फ सीबीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार ही "परीक्षा शुल्क की वापसी" (बैंक चार्ज काटकर) के लिए पात्र हैं। विस्तृत सीईएन -03/2026 के पैरा 10.3 को देखें। गलत, अधूरे या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ध्यान दें: बदलाव के लिए लगने वाली फ़ीस (मॉडिफ़िकेशन फ़ीस) वापस नहीं की जाएगी।
प्र.67	क्या नकारात्मक अंकन होगा?
उत्तर	हाँ। सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (एक-तिहाई) अंक की नकारात्मक अंकन होगी।
प्र.68	मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना होगा?
उत्तर	उम्मीदवार पर्सनल डिटेल्स' पृष्ठ पर उपलब्ध ड्रॉप-डाउन सूची में से 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। सीबीटी के प्रश्न उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा तथा अंग्रेज़ी में प्रदर्शित किए जाएंगे।
प्र.69	आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?
उत्तर	उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने जमा किए गए आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें और याद रखें। रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों और आरआरबी के साथ बातचीत के लिए किया जाएगा। विस्तृत सीईएन 03/2026 के पैरा 19 (b) (iv) को देखें।
प्र.70	आवेदन अस्वीकृत होने के संभावित कारण क्या हैं?
उत्तर	कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 21 को देखें।

प्र.71	"सेल्फ-स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन" क्या है और मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट कब जमा करना होगा?
उत्तर	आवेदन के चरण में स्व-चिकित्सीय जांच घोषणा को शामिल किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को बोलने, सुनने, दृष्टि (जिसमें लैसिक सर्जरी न होना शामिल है), मानसिक स्वास्थ्य, पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थितियों (जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप) तथा मनःप्रभावी पदार्थों के उपयोग से संबंधित निर्धारित न्यूनतम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप होने की घोषणा करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में स्व-स्क्रीनिंग के लिए अंतर्निहित सत्यापन की सुविधा होगी, जिससे अभ्यर्थी पद के लिए अपनी पात्रता/अपात्रता का आकलन कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर एक डाउनलोड करने योग्य चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी को सीबीएटी के दिन सामान्य चिकित्सक और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करवाकर जमा करना होगा। यह प्रमाण-पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब इसे किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया हो।
प्र.72	आवेदन जमा करने से जुड़े सवालों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर	उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन का आवेदन जमा करने से जुड़े किसी भी सवाल के लिए ईमेल: rrb.help@csc.gov.in फ़ोन: 9592001188/01725653333 (सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
प्र.73	क्या मैं सीबीटी, सीबीएटी या परीक्षा के किसी भी बाद के चरण के लिए परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख बदल सकता हूँ?
उत्तर	अलॉट किया गया परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख फ़ाइनल होती है और किसी भी स्थिति में उन्हें बदला नहीं जा सकता। परीक्षा केंद्र या परीक्षा की तारीख बदलने के संबंध में उम्मीदवारों की किसी भी अपील या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
